प्रहलाद नारायण बनाम कल्याण सहाय व अन्य

मु.न. 28/2019 धारा-53,88,188

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	7/3/22	पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी प्रतिवादीगण को तामील हेतु आवश्यक रूप से रजिस्टर्ड तलबाना पेश करें। अन्यथा नियम अनुसार वाद खारिज कर दिया जावेगा। पत्रावली दिनांक 28/3/22 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उप खण्ड अधिकारी बस्सी (जिला जयपुर)	
	28/3/22	पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी को प्रतिवादीगण को तामील हेतु रजिस्टर्ड तलबाना पेश करने हेतु पूर्व में पर्याप्त अवसर दिए जा चुके हैं एवं न्यायालय हाजा की पूर्व आदेशिका दिनांक 7/3/22 को रजिस्टर्ड तलबाना पेश करने हेतु न्यायहित में अन्तिम अवसर व आवश्यक रूप से तलबाना पेश करने के आदेश वकील वादी को दिए गये थे साथ ही यह भी आदेश दिए गये थे तलबाना पेश नहीं करने की स्थिति में नियम अनुसार वाद खारिज कर दिए जाने का भी आदेश आदेशिका पर अंकित किया गया था इसके बावजूद वकील वादी के द्वारा न्यायालय हाजा के आदेशों की पालना आज दिनांक तक नहीं की गई है। वाद पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि वकील वादी के द्वारा पूर्व में दिनांक 30/4/2019 को वाद पत्र न्यायालय हाजा में पेश किया गया था जिसके पश्चात आज दिनांक तक लगभग 20 तारीख पेशीया वाद पत्र पर सुनवाई एवं आगामी कार्यवाही हेतु नियत की जा चुकी है जिन पर आज दिनांक तक (हस्ताक्षर) उप खण्ड अधिकारी बस्सी (जिला जयपुर)	

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	वकील वादी के द्वारा न्यायालय हाजा के आदेशों की पालना नहीं की गई है। जिससे यह पुष्ट होता है कि वकील वादी वाद पत्र को अग्रसर / आगे चलाने हेतु कतई इच्छुक नहीं है। अतः वादी का वाद आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होने पर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 28/3/22 को खुले न्यायालय एवं सरे इजलास सुनाया गया। उप खण्ड अधिकारी बस्सी (जिला जयपुर)	